न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /24/2021

शिवदेई पुत्री सूखा पत्नि श्रीचन्द निवासी ग्राम धौर तहसील भरतपुर हाल निवासी उँचागॉव तहसील व जिला भरतपुर .....अपीलार्थी

बनाम

1. कमला पत्नी पुष्कर– (मृतक)
2. बन्टी पुत्र पुष्कर
3. गुड्डू पुत्र पुष्कर
4. रिंकेश पुत्री पुष्कर
5. पूजा पुत्री पुष्कर

जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम धौर तहसील व जिला भरतपुर।

..... **असल उत्तरवादीगण**

6. रमेश
7. जगदीश
8. महेन्द्र
9. लक्ष्मन
10. आमवती

पुत्रगण माता किरनदेई पुत्री सूखा पत्नी बद्रीप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी उँचागॉव तहसील व जिला भरतपुर

11. नरेन्द्र पुत्र रामपति पुत्री सूखा पत्नी राधेश्याम जाति ब्राहम्ण निवासी नगला चिम्मन तहसील बयाना जिला भरतपुर
12. कमला पुत्री माता रामपति पुत्री सूखा जाति ब्राहम्ण निवासी नगला चिम्मन तहसील बयाना जिला भरतपुर
13. रामश्री पुत्री सूखा पत्नी सीताराम जाति ब्राहम्ण निवासी नगला चिम्मन तहसील बयाना जिला भरतपुर

..... **तरतीवी उत्तरवादीगण**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार भरतपुर दिनांक 11.01.1994 बाबत नामान्तकरण संख्या 76 ग्राम धौर तहसील भरतपुर।

उपस्थितः–
1–श्री महाराजसिंह डागुर, अभिभाषक अपीलान्ट,
2–श्री सोनीराम शर्मा, अभिभाषक रेस्पो0– 1 लगा. 5

निर्णय

दिनांक 28.11.2025

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ आदेश तहसीलदार भरतपुर आदेश दिनांक 11.01.1994 बावत् नामान्तकरण संख्या 76 पेश की गई है। वकील अपीलान्ट ने अपील में कथन किया है कि तहसीलदार भरतपुर ने अपने अपीलाधीन नामान्तकरण सं0 76 आदेश दिनांक 11.01.1994 असल रेस्पोडेन्ट के

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

हक में विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध पारित किया गया है उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 08.09.2021 को पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पो. की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 5 के वकील उपस्थित। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना रजिस्टर्ड नोटिस शेष रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित हैं। तहत पत्रावाली तलब की गई। तहसीलदार (भू0अभि0) कलैक्ट्रेट, भरतपुर के पत्रांक/एलआर/ रिकार्ड/4 III/2022/6564 दिनांक 03.08.2022 से नामान्तरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। उपस्थित योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये जाहिर किया कि अपीलान्ट के पिता सूखा की दिनांक 20.01. 1993 से पूर्व मृत्यु हो चुकी है। सूखा की मृत्यू के पश्चात पॉच उत्तराधिकारी रहे हैं। जिनमें पुष्कर पुत्र, किरनदेई पुत्री, रामवती पुत्री, रामश्री पुत्री व अपीलार्थी शिवदेई पुत्री, हैं। उक्त पांचों ने सम्भाग उत्तराधिकार प्राप्त किया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक के समस्त वारिसान की जॉच नहीं की है और केवल पुष्कर पुत्र से मिलकर गलत रिपोर्ट मौका प्राप्त कर खण्डनाधीन आदेश पारित किया है जो गलत है। वकील अपीलान्ट का यह भी कहना है कि स्व0 किरनदई एंव स्व0 रामपति, अपीलार्थी एवं रामश्री मृतक सूखा की प्रथम श्रेणी की वारिसान रही हैं। उनके भी मृतक के पुत्र पुष्कर के बराबर विवादित आराजी में अधिकार खातेदारी प्राप्त करने के रहे हैं और उन्हें समभाग उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित नामान्तकरण पारित करने से पूर्व अन्य उत्तराधिकारीगण को नियमानुसार नोटिस आदि जारी नहीं किये हैं। उत्तराधिकार के विषय में जॉच किये बिना ही नियमानुसार प्रक्रिया के विरूद्ध खण्डनाधीन आदेश पारित किया है। जो निरस्तनीय है। म्याद के सन्दर्भ में वकील अपीलान्ट का कथन है कि अपीलाधीन आदेश की प्रार्थीया को कोई जानकारी नहीं थी। अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 01.09.2021 को पटवारी हल्का के बताने पर हुई। तब जाकर नकल प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जानकारी होने के दिन से यह अपील अपीलार्थी अंदर म्याद पेश की गई है। देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। अतः अपील को अन्दर म्याद शुमार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

योग्य अभिभाषक रेस्पो. ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अपील लगभग 28 साल देरी से म्याद बाहर पेश की गई है, देरी को माफ करने के लिये म्याद प्रार्थना पत्र धारा 5 में 28 साल की देरी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अपीलान्ट सम्बन्धित पटवारी का भी कोई शपथ–पत्र वगै. भी पेश नहीं किया गया है, इसलिए अपील म्याद बाहर होने से खारिज की जावे। योग्य अभिभाषक का कहना है कि अपीलान्टा मृतक सूखा की पुत्री है इस बाबत् कोई भी साक्ष्य अपील के साथ पेश नहीं किया गया है। अपीलान्टा को वारिसान से सम्बन्धित कोई विवाद है तो उसका हल रेग्यूलर सूट में निकलेगा। साथ ही पक्षकारान के बीच एक दावा न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर में विचाराधीन है। जब वारिसान से सम्बन्धित रेग्यूलरसूट सूट पेन्डिग है तब संक्षिप्त कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती है। अन्त में अपील म्याद बाहर पेश होने से अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान के कथन पर मनन किया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 76 तारीखी 11.1.1994 का अवलोकन किया गया, यह नामान्तकरण मृतक सूखा पुत्र रामपाल जाति ब्रा0 की विरासत का पुष्कर के नाम खोला जाकर तहसीलदार भरतपुर ने दिनांक 11.1.1994 को स्वीकार किया है। अपीलान्टा का कहना है कि सूखा के वारिसान में अपीलान्टा एवं अन्य तीन बहिनें भी प्रथम श्रेणी वारिसान होने से सूखा की आराजी में हिस्सेदार होने से उन्हें भी सूखा की आराजी विरासत में पुष्कर के साथ बहिस्सा बराबर खातेदारी मिलनी चाहिये। अपीलान्ट ने यह अपील अपील इस न्यायालय में 28 साल बाद पेशी की गई है, अपील के देरी के सम्बन्ध में म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 1.9.21 को हल्का पटवारी से होना जाहिर किया है। अपीलान्ट ने अपने म्याद प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 76 तारीखी 11.1.94 की जानकारी हल्का पटवारी से बताया है, इस सम्बन्ध में हल्का पटवारी का कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है जिससे प्रार्थना पत्र के कथनों की पुष्टी होती हो, म्याद प्रार्थना पत्र में 28 साल देरी का कारण तारीख वाईज कोई उल्लेख नहीं किया गया है। म्याद प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के रहता है। पत्रावली में उपलब्ध न्यायालय सहायक कलेक्टर भरतपुर द्वारा जारी नकल सत्यप्रतिलिपि दावा उनवानी शिवदेई पुत्री सूखा बनाम कमला वगै0 का अवलोकन किया गया, यह दावा अपीलान्टा/वादीया ने प्रतिवादीगण कमला वगै0 के खिलाफ अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया हुआ है। विवादित आराजी के

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

हकूकों को लेकर पक्षकारान के मध्य एक राजस्व वाद धारा 88 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य सबूत वगैराह लेकर पक्षकारान के हक हकूक तय होने हैं।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने आर.आर.डी. 2005 पेज 85 में प्रतिपादित किया है कि:—

''........ Rajasthan land Revenue Act, Section 135-Revision against order of Addl.Commmissioner-Held,dispute about succession of the deceased is very old and suit No.403/84 is pending in the court of Asstt.Collector, u/s88,188 R.T,Act- Mutation No 900 attested by Tehsildar after enquiry-Mutation proceeding is fiscal proceeding-Matter relating to will,gift,and succession cannot be decided by mutation proceedings-Rights of the parties will be decided in the pending suit by the court-It is not proper to investigate about mutation when suit is pending......"

अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :—

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर